न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 201/2019

मांग्या पुत्र रामसहाय जाति माली निवासी ग्राम सिण्डोली तहसील दौसा जिला दौसा राज0।

.. अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा।

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार सैंथल दिनांक 26.12.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम मांग्या मु0नं0 398/2018 अंतर्गत धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित : 1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक: 08.06.2022

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा ने दिनाक 26.12.2018 को ग्राम सिण्डोली तहसील दौसा के आ0ख0 739 रकबा 2.33 है0 में से 0.20 है0 किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अपीलांट व अधिवक्ता अपीलांट को अलग–2 समय में बार–2 आवाज दिलवाई गई। अपीलांट अथवा अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित नहीं आये। राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा की बहस सुनी गई ।

अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को बहस मानते हुए अपील में अंकन किया कि पटवारी हल्का सिण्डोली द्वारा झूंठी व गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई है जिसमें अपीलांट को खसरा नंबर 739 रकबा 0.20है. किस्म चरागाह पर संवत 2075 खरीफ में बाजरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय की सामान्यण प्रक्रियाओं के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही प्रकार विवेचन नहीं करके निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। प्रथम दृष्टया अपीलांट के विरूद्व किसी भी प्रकार के जुर्म की कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को दोषी मानते हुए दण्डित किया है जो अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने में भूल की है। अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91(6) का एक भी तत्व प्रमाणित नहीं होने के बावजूद अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय ने सजा का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों पर कोई गौर नहीं किया गया है। साथ ही पटवारी हल्का से अपीलांट को जिरह का मौका नहीं दिया गया। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहुत ही आरबीट्रेरी व कैप्रिसियस है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qumar Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.16 10:09:19 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ....2 पर

अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से कानून व नियमों की सही विवेचना नहीं कर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा किसी भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.12.2018 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को दोषमुक्त फरमाने की कृपा करें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का सिण्डोली द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसको प्रति अपीलांट के पुत्र द्वारा प्राप्त की गई है। अपीलांट नियत तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में संवत 2075 में राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 739 रकबा 0.20है0 पर बाजरा की काश्त की जाकर अतिचार किया गया है। साथ ही पटवारी की रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण बताया गया है। अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच भू अभिलेख निरीक्षक से करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूँठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट बाद तामील उपस्थित नही हुए है। अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं जवाब के तथ्यो का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया है। साथ ही पटवारी हल्का सिण्डोली की रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है। हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.16 10:09:19 IST
Reason: Self Attested

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 08.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा